रक्षा निवेश पर नई बहस

लेखक - इशान बख्शी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

1 अगस्त, 2019

"केंद्र ने 15वें वित्त आयोग से यह जाँच करने के लिए कहा है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। राज्यों के वित्त के लिए निहितार्थ क्या हैं?"

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग (FC) के संदर्भ की शर्तों (terms of reference] ToR) में संशोधन किया ताकि उनका दायरा बढ़ाया जा सके। परिवर्तन के माध्यम से, सरकार ने वित्त आयोग से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र की संभावना को देखने का अनुरोध किया है। इस फैसले के आलोचकों ने वित्त आयोग के टीओआर में कुछ शामिल करने पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, यह भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा।

वित्त आयोग क्या है और इसका जनादेश क्या है?

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत गठित किया गया है। इसका जनादेश केंद्र और राज्यों के बीच एवं खुद राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण को निर्धारित करना है। वित्त आयोग में पाँच साल का कार्यकाल होता है; नवंबर, 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होंगी। अतीत में, वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय अनुदान के वितरण पर भी जोर दिया है, साथ ही इसने संसाधनों के प्रवाह को तीसरे स्तर के शासन अर्थात् पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए भी सुनिश्चित किया है।

भारत जैसे संघीय ढांचे में, शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। जबकि संघ कर राजस्व एकत्र करता है, राज्यों के पास सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

इस प्रकार, वित्त आयोग का लक्ष्य दो प्रकार के समायोजन करना है- पहला, केंद्र की कराधान शक्तियों और राज्यों की व्यय प्राथमिकताओं के बीच लंबित असंतुलन को दूर करना। दूसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों के बीच क्षैतिज असंतुलन को दूर करना।

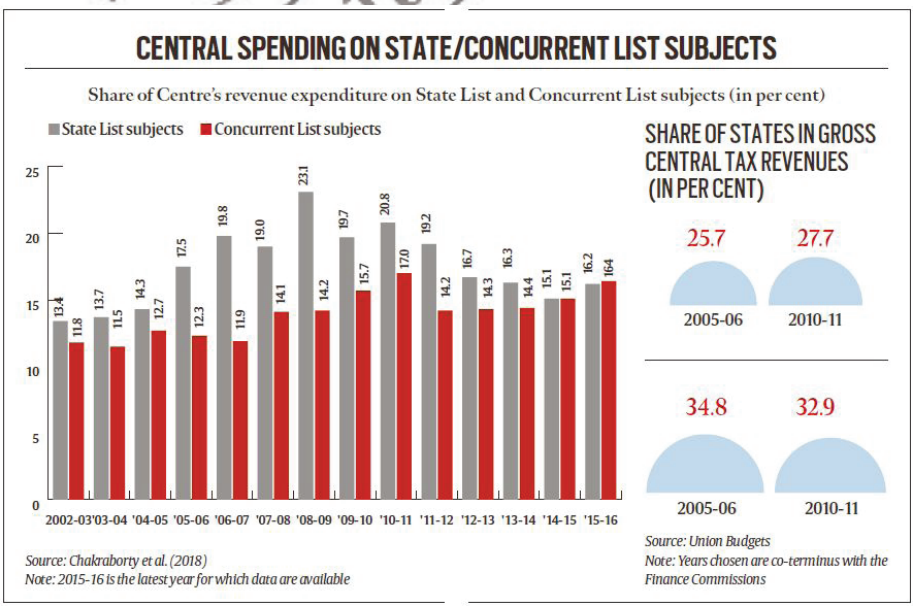

ToR की भूमिका क्या है और इस नवीनतम परिवर्तन की आलोचना क्यों की जा रही है?

वित्त आयोग को हर पाँच साल में पुनर्गठित करने के कारणों में से एक कारण यह सुनिश्चित करना है कि वे राजनीतिक और राजकोषीय परिदृश्य की बदलती गतिशीलता को ध्यान में रख सकते हैं। भले ही ToR अनिवार्य रूप से वित्त आयोग को दिशा-निर्देशों की प्रकृति में हैं, फिर भी वर्षों में ज्वते में हुए बदलावों ने भारत के समग्र विकास

की बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित किया है।

ToRs में किसी भी परिवर्तन को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कई दक्षिणी राज्यों ने पिछले साल 15वें वित्त आयोग के ToR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ इस आशंका के आधार पर किया था कि इस परिवर्तन से कर राजस्व में उनके हिस्से में कमी आएगी।

भारत के रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और नॉन-लैप्सेबल फंड के आवंटन की संभावना की जाँच करने के लिए 15वें वित्त आयोग के TOR में परिवर्तन किया है। दूसरे शब्दों में कहें, तो केंद्र ने वित्त आयोग से यह जाँच करने का अनुरोध किया है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है। रक्षा पर पूंजीगत खर्च के साथ आवश्यकताओं की कमी जारी है।

हालांकि, केंद्र के सकल कर राजस्व में से रक्षा के लिए धन जुटाने का मतलब है राज्यों के साथ साझा किए गए समग्र कर पूल में कमी। राज्यों द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना है, जिनमें से कई मौजूदा 42 प्रतिशत से 50 प्रतिशत एकत्र करों में अपने हिस्से में वृद्धि का तर्क दे रहे हैं। केंद्र द्वारा यह अनुरोध संघ सूची में मदों पर खर्च करने के लिए वित्तीय निपटान के लिए राजकोषीय स्थान पर सवाल उठाता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों की अलग-अलग (संघ सूची और राज्य सूची) और संयुक्त (समवर्ती सूची) जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करती है। रक्षा संघ सूची में है। अधिक संसाधनों के लिए वित्त आयोग से केंद्र के अनुरोध का अर्थ है कि इसमें संघ सूची में वस्तुओं पर व्यय को सीमित करने की सीमित क्षमता है।

यह आंशिक रूप से है क्योंकि राज्य और समवर्ती सूची में वस्तुओं पर केंद्र का खर्च पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। अनुसंधान से पता चला है कि राज्य सूची में वस्तुओं पर केंद्र के राजस्व व्यय की हिस्सेदारी मोटे तौर पर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है; 2015-16 में 16.2 प्रतिशत घटने से पहले, यह 2002-03 में 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 23.1 प्रतिशत हो गया था।

इसी तरह, केंद्र ने 2015-16 में समवर्ती सूची के विषयों पर अपने राजस्व व्यय का 16.4 प्रतिशत खर्च किया, जो 2002-03 में 11.8 प्रतिशत था। केंद्र द्वारा राज्य में मदों पर खर्च में वृद्धि और समवर्ती सूचियों के कारण संघ सूची में मदों पर इसके खर्च में कमी आई है।

क्या राज्यों को फंडिंग से बाहर किया जा रहा है?

केंद्र के अतिरिक्त वित्तीय दबाव और राज्यों के साथ कर राजस्व को साझा करने की आवश्यकता ने केंद्र को एक अजीब स्थिति में छोड़ दिया है।

अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में उपकर और अधिभार पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया है। हाल के केंद्रीय बजट में भी, इसने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढाँचे पर उपकर और पेट्रोल एवं डीजल पर एक-एक रुपये की बढ़ोत्तरी की है।

लेकिन उपकर और अधिभार से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य कर पूल का हिस्सा नहीं है। इसे केंद्र द्वारा रखा गया है। इसका मतलब है कि राज्यों को केंद्र के सकल कर राजस्व संग्रह का कम हिस्सा मिलता है।

उदाहरण के लिए, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 2019-20 में 8.09 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। यह सकल कर राजस्व का लगभग 33 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

वित्त आयोग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इससे वित्त आयोग सुधार कार्यक्रमों को देखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलना योग्य अनुमानों पर विचार कर सकेगा।

गठन

- राष्ट्रपति द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।
- संविधान के अनुच्छेद-280(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संविधान के लागू होने के दो वर्ष के अंदर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।

कार्य

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद-275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता देना।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों।

शक्तियाँ

- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।
- प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

14वां वित्त आयोग

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।
- इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं।
- इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं।
- 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

15वां वित्त आयोग

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह होंगे।
- श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।

विवाद

- 15वें वित्त आयोग के विचार के लिये संदर्भ की शर्तों (terms of reference) से केंद्र के सहकारी संघवाद पर संदेह जताया जा रहा है।
- 1971 की जनगणना की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर संसाधनों का आवंटन।
- इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जो दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

चुनौतियाँ

- निजी निवेश के असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच बढ़ रही असमानता।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बोझ।
- सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और समुचित कोष उपलब्ध कराना।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं के लिए एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वित्त आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
2. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होंगी।
3. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 3
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In reference to Finance Commission,Consider the following statements-

1. Finance Commission is a constitutional body.
2. The recommendations of 15th Finance Commission will be implemented from 2020 to 2025.
3. After accepting the recommendation of 15th Finance Commission state's share in central taxes will increase from 32% to 42%.

Which of the above statements is/are incorrect?

(a) Only 2 (b) Only 3
(c) 2 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: वित्त आयोग के कार्यों एवं हाल ही में वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (सन्दर्भ की शर्तों) में किए गए नवीनतम परिवर्तन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Critically evaluate the works of Finance Commission and new changes in the terms of reference of the Finance Commission recently. **(250 Words)**

नोट : 31 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed To E